संख्या–323/26–ब0प्र0–2011–2/3(35)/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक : 13 अप्रैल,2011

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में एस0सी0एस0पी0 के अधीन "डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना" हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि का आवंटन (राज्य योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् मुख्य अभियंता, लघु सिचांई विभाग के पत्र संख्या–11/ल0सिं0/बजट–SCSP-TSP/2011–12, दिनांक 01–04–2011 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21–3–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में "डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना" हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 4,28,00,000/– (रू0 चार करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0–2,14,00,000.00 (रू0 दो करोड़ चौदह लाख मात्र) आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में योजना में डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना के निर्माण पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए एस0सी0एस0पी0 मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(3) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1333/62–2–2008–2/3(29)/2007 टी0सी0, दिनांक 14 मार्च,

2008 में निर्गत विस्तृत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जाय। सी0सी0एल0 प्रणाली के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(6) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

(7) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय के निम्नलिखित व्ययों को निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को आगामी माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जाये।

1– मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2– प्रारम्भिक व्याधिक तथा बचत विवरण	15–10–2011 तक
3– व्ययाधिक तथा बचत का अंतिम विवरण	15–12–2011 तक
4– वर्ष 2011–12 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15–02–2012 तक
5– आवंटन का समर्पण	15–03–2012 तक

नोट :– दिनांक 15–03–2012 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(10) तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–83 के अधीन "लेखा शीर्षक–2702–लघु सिंचाई–आयोजनागत –80–सामान्य–789–अनुसूचित जातियों के विशेष घटक

योजना–06–डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना–27–सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21–3–2011 के तहत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–323 (1)/26–ब0प्र0/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. राज्य योजना आयोग अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्यमंत्री (श्री जमील अख्तर)।
7. एन0आई0सी0 की प्रति।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव।

Bud 11-12-11